रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23, 2010/कार्तिक 1, 1932

No. 285] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 2010/KARTIKA 1, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(यू. 3(ए) अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

सं. एफ. 10-9/2007-यू.3 ए .—जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि "आयोग के परामर्श पर केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके यह घोषित कर सकती है कि उच्च शिक्षा की कोई संस्था, विश्वविद्यालय को छोडकर, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सम विश्वविद्यालय होगा तथा उक्त घोषणा कर दिए जाने के बाद उस संस्था पर इस अधिनियम के सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह धारा 2 के खंड (च) के अर्थों में एक विश्वविद्यालय है";

2. और जबकि, डॉ. एम जी आर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि एक सम-विश्वविद्यालय है, से जून 2007 में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने एक नया विभाग अर्थात् आयुर्विज्ञान संकाय (एसीएस मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल) चेन्नई को अपने विस्तार में शमिल करने का अनुरोध किया था;

3. और जबकि, केन्द्र सरकार को इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिशें 6-10-2009 को प्राप्त हुई थी तथा सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों (2000) के तहत ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी टिप्पणियां आयोग के विचारार्थ दिनांक 11-11-2009 को भेज दी गई थी;

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार की टिप्पणियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के अनुसार प्रस्ताव की जांच की, हालांकि विनियम उस समय तक अधिसूचित नहीं किए गए थे तथा प्रस्ताव की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशा निर्देश (2000) के अनुसार की जा सकती थी;

5. और जबकि, एसीएस मेडिकल कॉलेज और डॉ. एम जी आर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अलग स्थानों पर स्थित है तथा इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशनिर्देश (2000) के तहत एसीएस मेडिकल कॉलेज को डॉ. एम जी आर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का एक विभाग नही माना जा सकता है;

6. और जबकि, ए सी एस मेडिकल कॉलेज ने इस मेडिकल कॉलेज को सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय संस्था की घटक यूनिट के रूप में अनुमोदित किए जाने से पहले ही डॉ. एमजीआर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के नामांकन के तहत वर्ष 2008-2009 के शिक्षण सत्र में छात्रों को प्रवेश दे दिया था सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा ऐसा करना उस समय लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देश (2000) का स्वत: ही उल्लंघन है। वास्तविकता यह है कि कोई भी कॉलेज उस कालेज में नामांकित छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण डिग्री कार्यक्रम(मों) में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता जब तक वह या तो किसी राज्य के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो अथवा औपचारिक रूप से किसी सम विश्वविद्यालय संस्था के विस्तार में शामिल नहीं कर लिया गया हो;

और जबकि, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 11-06-2007 को एसीएस मेडिकल कालेज अनिवार्यता प्रमाणपत्र इस शर्त पर जारी किया गया था कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा नए छात्रों का प्रवेश रोक दिया जाता है तो पहले से नामांकित छात्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार

ले लेगी । केन्द्र सरकार ने अपने दिनांक 11-8-2009 के पत्र द्वारा एसीएस मेडिकल कालेज को निर्देश दिया था कि कालेज को उपर्युक्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कराए बिना शिक्षण सत्र 2009-10 के लिए छात्रों को प्रवेश नही दिया जाए । परंतु सरकार की इस स्पष्ट शर्त के बावजूद तथा सुनिश्चित निदेश की पूर्ण रूप से अपेक्षा करते हुए डा. एमजीआर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ने शिक्षण वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों को एसीएस मेडिकल कालेज में प्रवेश दे दिया ;

8. और जबकि, एसीएस कालेज के मामले में मूलत: विश्वास कण्णम्मल न्यास पर किया गया था, न कि सम विश्वविद्यालय संस्था पर, जिसने मेडिकल कालेज शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आवेदन किया था । मेडिकल कालेज कण्णम्मल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है, जिसने केन्द्र सरकार से उक्त अनुमति प्राप्त की थी तथा सम विश्वविद्यालय संस्था ने अनुमति प्राप्त नही की थी । वर्तमान विश्वविद्यालय दिशानिर्देश (2000) के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थाओं को किसी ऐसे मेडिकल कालेज में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नही है, जो उसके विस्तार में नहीं आता है । परन्तु उक्त मेडिकल कालेज ने लगातार दो शिक्षण सत्र छात्रों को प्रवेश देना जारी रखा जबकि वह सम विश्वविद्यालय संस्था की विधिवत अनुमोदित घटक इकाई नहीं था;

9. और जबकि इसके अतिरिक्त, कुछ सम विश्वविद्यालय संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में गिरावट के संबंध में जनता की चिंता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं की पुनरीक्षा के आदेश दिए गए थे । केन्द्र सरकार ने दिनांक 6-7-2009 को प्रतिष्ठित शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी अन्य सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के साथ-साथ डॉ. एम जी और शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की भी समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी, जिसने संस्थान को विभिन्न कारणों के आधार पर अभावग्रस्त पाया था इसलिए फिर भी एक और संस्था को उक्त सम विश्वविद्यालय के विस्तार में शामिल करने से उसका शिक्षा का स्तर ओर अधिक गिर जाएगा ।

10. और जबकि इसके अतिरिक्त, मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 18-8-2010 के आदेश द्वारा (जो 24-8-2010 को प्राप्त हुआ है) सरकार को निदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उपयुक्त आदेश जारी करे;

11. इसलिए अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार एतद्द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 30-9-2009 की सिफारिशों को अस्वीकार करती है तथा उसके द्वारा एसीएस मेडिकल कालेज को सम विश्वविद्यालय संस्था के विस्तार में शामिल करने के लिए डॉ. एमजीआर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के आवेदनपत्र को अस्वीकार करती है ।

12. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनिल कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(U. 3(A) SECTION)

ORDER

New Delhi, the 31st August, 2010

No. F. 10-9/2007-U.3A.—Whereas Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 states "The Central Government may, on the advice of the Commission, declare by notification in the Official Gazette, that any institution for higher education, other than a University, shall be deemed to be a University for the purposes of this Act, and on such a declaration being made, all the provisions of this Act shall apply to such institution as if it were a University within the meaning of clause (f) of section 2" ;

2. And whereas, a proposal was received by the Central Government in June 2007 from Dr. M G R Educational and Research Institute, an institution deemed to be university, seeking inclusion of a new Department viz., Faculty of Medicine (ACS Medical College and Hospital) Chennai under its ambit;

3. And whereas, the recommendations of the University Grants Commission (UGC) in the matter were received by the Central Government on 6-10-2009 and after careful examination under the UGC Guidelines (2000) in respect of institutions deemed to be universities, observations were communicated by the Government to the UGC on 11-11-2009 for reconsideration of the Commission;

4. And whereas the UGC placed the observations of the Government before the UGC Expert Committee which examined the proposal in accordance with the UGC Regulations 2010, though the Regulations were not notified at that point of time and the proposal could only be examined in accordance with the UGC Guidelines (2000);

5. And whereas, the ACS Medical College and Dr. MGR Education and Research Institute are located at different places and hence, ACS Medical College cannot be treated as a department of Dr. MGR Educational and Research Institute under the UGC Guidelines (2000);

6. And whereas, ACS Medical College had already admitted students in 2008-09 academic session under the enrolment of Dr. MGR Educational and Research Institute, an institution deemed to be university, even before the Medical College was approved by the Government as a constituent unit of the institution deemed to be university. This in itself is a violation of the UGC Guidelines (2000) on institutions deemed to be universities then in force. In fact, no college can admit students to its academic degree programme(s) unless it is either affiliated to a State University or is formally included under the ambit of an

institution deemed to be university, in the interest of the students already enrolled in that college;

7. And whereas, ACS Medical College was issued an Essentiality Certificate by the Tamil Nadu Government on 11/6/2007 on condition that the State Government shall take over the responsibility of the already enrolled students, if fresh admissions are stopped by the Central Government. The Central Government, vide its communication dated 11-8-2009, had directed the ACS Medical College not to make admissions for the academic session 2009-10 without first affiliating the said college with the appropriate State University. However, despite this express stipulation of the Government and in total disregard of the specific direction, Dr. MGR Educational and Research Institute has gone ahead with the admission of students in ACS Medical College for the academic year 2009-10.

8. And whereas, in the case of ACS Medical College, it was the parent trust by the name of Kannammal Trust and not the institution deemed to be university which had applied to the Central Government, in the Ministry of Health & Family Welfare, for permission to start the Medical College. The Medical College is sponsored by Kannammal Trust, which obtained such permission from the Central Government and not the institution deemed to be university. It was not permissible under the extant UGC Guidelines (2000) for institutions deemed to be universities to admit students to a medical college which was not under its ambit; however, the said Medical College continued to admit students for two consecutive academic sessions without it being a duly approved constituent unit of the institution deemed to be university;

9. And further whereas, in view of public concern over the decrease in academic standards in certain institutions deemed to be universities, a review of such institutions was ordered by the Central Government. A Committee comprising eminent academic experts was constituted by the Central Government on 6-7-2009. Among other institutions deemed to be universities, a review of Dr. MGR Education and Research Institute was also made by the Committee, which found the institution deficient on various counts, and therefore, bringing yet another institution under the ambit of such an institution deemed to be university would further weaken its academic standards;

10. And further whereas, the High Court of Madras, vide its order dated 18-8-2010 has directed the Government to pass appropriate orders after considering the recommendations of UGC within one week of the receipt of the copy of the order (received on 24-8-2010);

11. Now, therefore, in exercise of the inherent powers under Section 3 of the UGC Act, 1956 and after consideration of all relevant facts, the Government hereby rejects the recommendation of UGC dated 30-9-2009 and thereby, the application from Dr. MGR Educational and Research Institute, Chennai for inclusion of ACS Medical College under the ambit of the institution deemed to be university.

12. This order issues with the approval of the Competent Authority,

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.